



नीलामी सूचना
कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ ।


जनपद न्यायालय मेरठ के अभिलेखागार (सिविल) में रद्दी/बेकार कागजों की नीलामी दिनांक 08.12.2023 को सायं 04:00 बजे चौदह न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में की जानी है। जिसकी बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा अंकन 5,000-00 रुपये रुपये प्रति बोलीदाता की दर से नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट जो कि जनपद न्यायाधीश, मेरठ के पक्ष में देय हो को, धरोहर धनराशि कैशियर, सिविल कोर्ट, मेरठ के पास नगद जमा दिनांक 08.12.2023 को समय दोपहर 11:00 बजे तक करानी होगी। प्रथम 3 उच्च बोलीदाताओं को छोड़कर शेष की धरोहर धनराशि उसी दिन वापस कर दी जायेगी। बोली की स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने सम्बन्धी अन्तिम निर्णय जिला न्यायाधीश महोदय मेरठ का होगा। नीलामी को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के पक्ष में बोली छोड़ी जायेगी। उसे बकाया धनराशि अंदर तीन दिवस में नजारत अनुभाग में जमा करनी होगी। नीलामी की सभी शर्तें नजारत अनुभाग में दिनांक 01.12.2023 व 02.12.2023 को कार्य दिवस में केन्द्रीय नाजिर के पास देखी जा सकती है।


(यासमीन अकबर)

सदस्या, नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट),
न्यायालय सं0-03, मेरठ



(ब्रजेश मणि त्रिपाठी)
सदस्य, नीलामी समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं0-09, मेरठ


21.12.23


(अम्बर रावत)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं0-01, मेरठ


कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ।


जनपद न्यायालय, मेरठ के अभिलेखागार (सिविल) में पड़ी रद्दी/बेकार कागजों की नीलामी हेतु शर्तें


1. उक्त बोली खुली बोली पद्धति के अनुसार होगी अर्थात् जिस व्यक्ति की अधिकतम बोली होगी उसके नाम पर छोड़ी जायेगी।
2. नीलामी, जनपद न्यायालय, मेरठ के चौदह न्यायालय भवन के मीटिंग हॉल में दिनांक 08.12.2023 को समय 04:00 बजे अपराहन नीलाम समिति के समक्ष की जायेगी।
3. नीलाम प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को जमानत के तौर पर अंकन 5,000-00 रु० की धनराशि नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट जो कि जनपद न्यायाधीश, मेरठ के नाम में तैयार कराकर बोली से पूर्व कैशियर, सिविल कोर्ट के पास जमा करना होगा।
4. प्रथम तीन उच्चतम बोलीदाताओं को छोड़कर अन्य बोलीदाताओं द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि उसी ही दिन वापस कर दी जायेगी।
5. नीलामी को बिना कारण बताये अस्वीकृत/स्थगित एवं रद्द करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को होगा।
6. बोली का स्वीकार किये जाने सम्बन्धी अन्तिम निर्णय तक जमा राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा तथा बोली स्वीकार किये जाने पर तीन दिवस के अंदर बोली की समस्त शेष धनराशि जमा करनी होगी।
7. बोली जहां है के आधार पर दी जाती है इसमें रद्दी/बेकार कागजों को उठवाना/तुलवाना तथा ले जाना आदि के समस्त प्रबंध की जिम्मेदारी क्रेता की होगी।

रद्दी/बेकार कागजों को तेरह न्यायालय भवन के बेसमेन्ट में स्थित अभिलेखागार (सिविल) में जो भी इच्छुक व्यक्ति देखना चाहे वह केन्द्रीय नाजिर के माध्यम से दिनांक 01.12.2023 व 02.12.2023 को कार्यालय समय में देख सकते हैं।


(यासमीन अकबर)
सदस्या, नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट),
न्यायालय सं०-03, मेरठ


(ब्रजेश मणि त्रिपाठी)
सदस्य, नीलामी समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं०-09, मेरठ


(अम्बर रावत)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं०-01, मेरठ


Khar
01/12/23